इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2013—श्रावण 12, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ. 22-142-2004-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-142-2008-आठ, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, 5 अगस्त, 2013 से प्रक्रम वाहनों का यात्री किराया निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करती है :—

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा अधिकतम प्रभार्य यात्री किराया (नगर वाहनों को छोड़कर); —

(1).	सामान्य प्रक्रम वाहन	रुपये 0.90 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिये न्यूनतम किराया रुपये 7.00 के अध्यधीन रहते हुये

(2). उपरोक्त निर्देश (1) के अनुसार संगणित यात्री किराये में निम्नानुसार अधिकतम वृद्धि की जा सकेगी :—

(क).	रात्रि बस सेवा के लिये	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक
(ख).	डीलक्स बस (नॉन ए.सी.)	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 25 प्रतिशत अधिक
(ग).	डीलक्स बस (ए.सी.)	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 50 प्रतिशत अधिक
(घ).	सुपर लक्जरी कोच	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 75 प्रतिशत अधिक

टिप्पणी.—(1) अतिरिक्त रात्रि बस सेवा प्रभार डीलक्स या नॉन ए.सी. बस या सुपर लग्जरी कोच के किरायों पर लागू नहीं होगा.

(2) एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिये कोई अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि वह डीलक्स या ए.सी. बस या सुपर लग्जरी कोच न हो. इस दशा में केवल डीलक्स या ए.सी. डीलक्स या सुपर लग्जरी कोच के लिये अतिरिक्त प्रभार प्रभार्य होगा.

(3) बस सेवाओं का रात्रिकालीन बस सेवा या डीलक्स या ए.सी. डीलक्स या सुपर लग्जरी कोच सेवाओं के रूप में वर्गीकरण परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये किया जायेगा.

No. F. 22-142-2004-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) of sub-section (1) of said section and in partial supersession of this Department's Notification No. F 22-142-2008-VIII, dated 23rd October, 2012 the State Government hereby, issue the following directions regarding fixing of passenger fares of Stage carriages, from 05th August, 2013.

DIRECTIONS

1. Maximum Passenger Fares chargeable by Stage carriages (Excluding City Bus) ;—

(1)	General Stage Carriages	Rs. 0.90 per passenger per K.M. or part thereof, subject to a minimum fare of Rs. 7.00

2. As per direction (1) above, fares calculated may be increased to a maximum as follows :—

(a)	Night Bus Services	10% more than the fare of general Stage carriages
(b)	Deluxe Bus (Non A.C.)	25% more than the fare of general Stage carriages
(c)	Deluxe Bus (A.C.)	50% more than the fare of general Stage carriages
(d)	Super luxery coach	75% more than the fare of general Stage carriages.

Note.—(1) Extra Night charge will not be chargeable on Deluxe or on A.C. bus or Super luxery coach fares.

(2) No extra charge would be permitted for express service, unless it is also a Deluxe or A.C. bus or Super luxery coach, in which case only the Additional charge for Deluxe or A.C. Deluxe or Super luxery coach would be chargeable.

(3) The classification of a bus service as night service or as Deluxe or A.C. Deluxe or Super luxery coach service would be subject to the guidelines issued by Transport Commissioner, Madhya Pradesh, from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.